RTI in Action

25 years 1983 2008 CUTS International

CUTS CART

PTF PARTNERSHIP FOR TRANSPARENCY FUND

Obtaining Information for Reforming the Processes

No. 2. 2010

Use RTI to Prevent Origin of Corruption

"Even after 65 years of Independence in India a large proportion of Indian population, act as 'passive citizens' and thus contributing zero towards the efforts of eradicating issues such as corruption in various sectors in India. Instead of just using RTI to expose misdeeds and corruption, use it as a 'preventive tool' to prevent corruption at its origin" said Jagadananda, State Information Commissioner of Orrisa, while delivering the keynote address in a final dissemination cum advocacy meeting organised by CUTS in collaboration with Partnership for Transparency Fund in Jaipur, on April 26, 2010.

The meeting was envisaged to share the findings of its interventions on 'Reforming the Processes in the Rural Development Department through Policy and Civic engagement, based on RTI Act (2005)', in Rajasthan.

Nishkam Diwakar, Chief Executive Officer, *Zila Parishad*, Jaipur; R P Chaudhary, Director *Indira Gandhi Awas Yojna (IAY)*; S P Baswala, Deputy Secretary, Department of Administrative Reforms, Government of Rajasthan commented on the key findings of the study. George Cheriyan, Director, CUTS, in his opening remarks said that along with 'Right to Information' there must be 'Right to Accountability' to ensure time bound delivery of services at all levels of the government.

Madhu Sudan Sharma, CUTS while presenting the findings of the study said that the awareness level on RTI in Rajasthan is only 37 percent; and 5.5 percent are using RTI as a social accountability tool to improve the service delivery. Though 78 percent of Public Information Officers (PIOs) are aware of this Act, but majority of them are reluctant to provide the required information sought under the provisions of the RTI Act.

A set of recommendations was presented to the government during the meeting to make the processes in selected schemes more transparent and accountable. More than 100 participants including representatives of 62 CSOs from Tonk and Jaipur districts of Rajasthan, 32 Consortium of Groups for Combating Corruption (CGCCs), 7 RTI activists, 13 PRI members, self help group members, 8 PIOs of different departments actively participated in the meeting.

Project Evaluation & Monitoring Visit

Stephanie de Chassy, Adviser, PTF visited CUTS to evaluate the RTI PTF project phase-II from May 10-13, 2010. Stephanie met with S P Baswal, Deputy Secretary, Department of Administrative Reforms, Government of Rajasthan; MD Kaurani, State Information Commissioner; Salauddin Ahmed, Additional Chief Secretary; and Kailash Narayan Meena, Sub Divisional Officer, Niwai to discuss the implementation of RTI Act in Rajasthan.

She visited both the Model RTI *Gram Panchayats – Harsulia and Mundia* on May 10-11, 2010 respectively and National Rural Employment Gurantee Scheme (NREGS) worksite where large number of women and other RTI applicants were present and discussed project related issues.

IN THIS ISSUE

Project Evaluation & Monitoring Visit 1
Key Findings 2
Use RTI Creatively to Prevent Corruption 3
CART in Media 4

It's a structural flaw of any totalitarian regime that the more you prohibit things the more valuable they become - it's a market thing. If information is rationed and filtered, it becomes very valuable. One single word becomes a weapon, because you are not supposed to say it. *– Vladimir Bukovsky*

Key Findings

RTI Ground Realities and Corruption Vulnerability Analysis Survey

'RTI Ground Realities and Corruption Vulnerability Analysis' survey was conducted by CGCCs members in 17 rural blocks of Jaipur and Tonk districts. The sample size of survey was 600 including 413 beneficiaries of NREGS, IAY and Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) and other schemes and 187 service providers from Rural Development Department, Government of Rajasthan. 62 percent respondents were beneficiaries of NREGS, 22 were IAY and 16 percent were beneficiaries of SGSY.

RTI Application Filing Process and its Usage

RTI (Right To Information) is an application to request information from a public authority. 5.4 percent respondents reported that they were aware of this Act and the filing process of RTI application in various departments. Information was provided only in 33 percent cases by the PIOs and 75 percent of RTI applicants were dissatisfied with the provided information.

Prevalence of Corruption

Corruption was seen to be a major handicap in the implementation of the SGSY, NREGS and the IAY. Common villagers shared their experiences of corruption specifically in Rural Development and *Panchayati Raj* Department. 49 percent reported of corruption in NREGS; 35 percent in IAY; and 16 percent in SGSY.

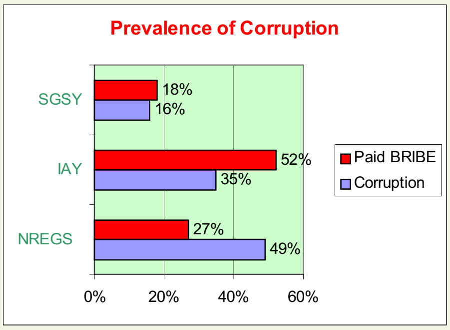

Areas of Corruption

NREGS: 27 percent accepted of paying bribes to programme implementers for either issuing job cards or opening bank accounts or marking their presence in absence from workstations.

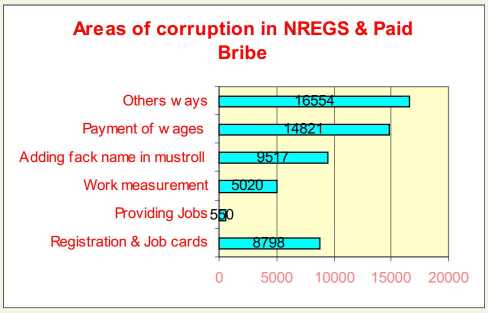

IAY: 52 percent reported that *gram panchayat* officials demanded bribes for providing them the benefits of IAY, i.e. issuing cheques for grants; sanctioning of *Indira Aawas*, construction of houses on a priority basis etc.

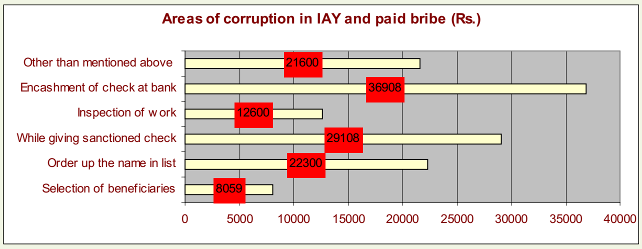

SGSY: 18 percent of beneficiaries and NGOs responsible for community mobilisation are forced to pay bribes. If one can get loan by paying a bribe one can also escape paying bank the loan by paying a bribe.

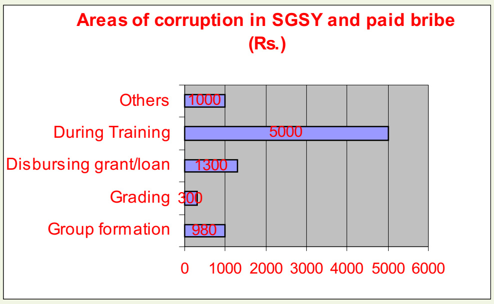

Awareness and Training of RTI Act, 2005

78 percent respondents said that they were aware of the RTI Act and 22 percent are still not aware of it. This poses a question on the effective implementation of the Act. Only 22 percent of functionaries received some sort of RTI training just after this Act came into effect in 2006.

Possible Reasons asked by PIOs before accepting RTI Applications

Several reasons a asked by PIOs before accepting or rejecting RTI applications. 32 percent PIOs ask about the objective behind filing RTI applications and they can only accept the application if they are satisfied otherwise they confuse the applicant and de-motivate him for not filing it. Moreover, they provide assurance of solving the problem without filing the application.

A PIO cannot reject any RTI application as he is duty bound under Section 6(3) of the Act to forward the application to the concerned PIO within five days of receipt of the application under intimation to the applicant. A PIO can refuse information on 11 subjects that are listed in section 8 of the RTI Act. However, he also has to provide information if it relates to matters pertaining to allegations of corruption or human rights violations.

CUTS International

'सूचना का अधिकार' का रचनात्मक व निरोधात्मक उपयोग: सार्वजनिक खर्चों का सदुपयोग व निष्क्रिय नागरिकों का सक्रिय नागरिकों में बदलाव

प्रचार-प्रसार व पैरवी बैठक

परिचय व उद्देश्य

'कट्स' इन्टरनेशनल ने पार्टनरशिप फॉर ट्रांसपेरेन्सी फण्ड (पी.टी.एफ.) के सहयोग से राजस्थान, भारत में 'सूचना का अधिकार' अधिनियम, 2005 द्वारा नीति निर्धारकों व जन समुदाय की भागीदारी से ग्रामीण विकास विभाग की सेवा प्रक्रियाओं में सुधार' परियोजना के तहत अप्रेल 26, 2010 को 'अंतिम प्रचार-प्रसार व पैरवी बैठक' का जयपुर में आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागियों से 'सूचना का अधिकार' की धरातल स्तरीय वास्तविकतायें व भ्रष्टाचार आघात विश्लेषण सर्वे के परिणामों पर चर्चा की गई। साथ ही, इन पर आधारित सिफारिशें सम्बन्धित विभाग को दी गई।

प्रतिभागिता

बैठक में जयपुर व टोंक जिले के लगभग सभी ब्लॉकों से 95 से अधिक हितधारकों, योजना अधिकारियों व मीडिया के लोगों ने भाग लिया। बैठक के मुख्य अतिथि श्री जगदानन्द, राज्य सूचना आयुक्त, उड़ीसा थे तथा आर.पी. चौधरी, निदेशक, इंदिरा आवास योजना, एस.पी. बसवाल, उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा निष्काम दिवाकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर मंचासीन अतिथि थे।

कार्यक्रम की शुरूआत में मधुसूदन शर्मा, परियोजना अधिकारी ने गणमान्य अतिथियों व आगन्तुकों का स्वागत किया तथा बैठक के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। इसके बाद जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' इन्टरनेशनल ने अपने उद्घाटन सम्बोधन में कहा कि सूचना का अधिकार मिलने के बाद अब आम आदमी को 'जवाबदेहिता का अधिकार' की जरूरत है जिससे कि समस्त सरकारी विभागों व योजनाओं में निर्धारित धन का सदुपयोग बढ़ाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि 2010-11 वर्ष के कुल बजट का सामाजिक क्षेत्र हेतु 37 प्रतिशत आवंटन हुआ, जो कि पर्याप्त है, पर इसका भ्रष्टाचार मुक्त उपयोग नहीं होने से आमजन तक इसका लाभ कम पहुंचता है।

परियोजना अधिकारी ने सर्वेक्षण परिणामों का विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया तथा प्रतिभागियों के सुझाव भी प्राप्त किये। इसके साथ ही परियोजना में चयनित नरेगा, इंदिरा आवास व एस.जी.एस.वाई. योजनाओं में सुधार हेतु सिफारिशें भी दी गई।

मंच से व्यक्त किये गये विचार

मुख्य अतिथि

'आजादी के 65 वर्ष बाद भी भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग 'एक निष्क्रिय नागरिक' की भूमिका में है। परिणामस्वरूप ये लोग महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कुछ भी अंशदान नहीं करते हैं।' ये वाक्य श्री जगदानन्द ने अपने मुख्य भाषण में कहे । उन्होंने आगे कहा कि भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम विश्व में सर्वाधिक विकसित अधिनियमों में से एक है, परंतु आमजन में इसके उपयोग की जानकारी की कमी से इसकी प्रभावशीलता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, अत: आमजन में जागरूकता व ज्ञान बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष में दो लाख करोड़ रूपये की सालाना छूट विभिन्न गरीबी उन्मूलन व विकास योजनाओं पर दी जाती है, मगर आज भी गरीबी व भुखमरी जैसी समस्याओं का निदान नहीं हुआ, क्योंकि ये छूट गरीबों तक नहीं पहुँच रही है जिसकी मुख्य वजह भ्रष्टाचार है। मगर सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग बुद्धिमता से करने पर इस भ्रष्टाचार के दानव को नियन्त्रित किया जा सकता है। उन्होंने अपने स्वयं द्वारा इस अधिनियम के उपयोगके सीमित परिणामों की भी भावपूर्ण चर्चा की।

सर्वेक्षण व प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देते हुए श्री आर.पी. चौधरी ने कहा कि सर्वे परिणाम बहुत ही सटीक व सत्यता को प्रदर्शित करते हैं तथा विभाग ने इन तथ्यों पर कार्य योजना बनाकर उन पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसे सर्वेक्षणों को बहुत उपयोगी बताया।

श्री एस.पी. बसवाल ने सरकारी योजनाओं में आमजन की भागीदारी की उपयोगिता व आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किये तथा सुझाव दिया कि जो जन भागीदारी के प्रावधान योजनाओं में निहित हैं (जैसे नरेगा में सामाजिक अंकेक्षण आदि) उनको प्रभावी तरीके लागू करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, केवल सरकारी स्तर पर अधिकारियों की निगरानी काफी नहीं है।

श्री निष्काम दिवाकर ने जोर देकर कहा कि आमजन में उनके अधिकारों एवं योजना लाभों की पात्रता के बारे में सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है जिससे कि पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। पारदर्शिता हेतु प्रशासन प्रयासरत है, मगर आमजन को नरेगा हेल्प लाईन पर भ्रष्टाचार की शिकायत करने तथा सूचना का अधिकार सकारात्मक सोच व व्यक्तिगत लाभ से परे की भावना से किया जाए तो बदलाव लाना आसान हो जाएगा तथा सरकारी मशीनरी को जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

उपस्थित प्रतिभागियों ने भी सर्वेक्षण परिणामों, सिफारिशों व अन्य विचारों से सम्बन्धित अपने अनुभव, सुझाव व प्रश्न रखें जिनका समुचित समावेश व जवाब दिया गया।

अंत में परियोजना दल के सदस्य धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने सम्पूर्ण बैठक की कार्यवाही का संक्षेपण किया व सभी आगन्तुकों, मुख्य अतिथि व सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सिफारिशें

एक वर्ष तक चलाई गई 'सूचना का अधिकार' परियोजना व इस समय में आयोजित बैठकों द्वारा अनुमोदित, किये गये सर्वे परिणामों, आमजन व सेवा प्रदाताओं के साथ संवाद प्रक्रियाओं तथा विभाग के साथ मिलकर किये गये क्षेत्र भ्रमण के परिणामस्वरूप निम्नांकित सिफारिशें नरेगा, इंदिरा आवास योजना व एस.जी.एस.वाई. योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग को दी गई हैं:

एन.आर.ई.जी.एस.

- 'सूचना का अधिकार' की पालना में विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों व नियमों की जानकारी तथा लाभार्थियों के नाम स्वप्रेरणा से पंचायत में प्रदर्शित किये तथा दीवारों पर लिखवाये जाएं।
- नरेगा में प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति रसीद दी जाए व फार्म 06 की उपलब्धता की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
- नरेगा का भुगतान डाकघरों की बजाय मोबाईल बैंकिंग सेवा से भी शुरू किया जाए।

इंदिरा आवास योजना

- लाभान्वितों की सूची मय बजटवार ग्राम पंचायत की दीवार पर और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जाए तथा योजना की पारदर्शिता के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर पर रखी जाए।
- नियमित रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर बी.पी.एल. परिवारों की बैठक बुलाई जाए व उनको मिले लाभों का जायजा लिया जाए। इसमें मीडिया प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए व योजना में फण्ड को सुचारू रूप से व समय पर स्थानान्तरित किया जाए।
- जिन्होंने योजना में आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, उनके लिए कोई रणनीति तैयार की जाए।

एस.जी.एस.वाई.

- इस योजना के तहत सामाजिक बैंकिंग को व्यावसायिक बैंकिंग की तरह नहीं समझने हेतु बैंक प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाया जाए।
- योजना के तहत अच्छा कार्य करने वाले समूह को सेवा प्रदाता एवं एन.जी.ओ. द्वारा प्रोत्साहित किया जाए।

CART IN MEDIA

योजनाओं की दी जानकारी

'RTI not being used effectively'

It has the potential to strengthen democracy and combat corruption

मध्यावधि प्रचार-प्रसार कार्यशाला आज

जयपुर (ब्यूरो): उपभोक्ता संस्था कट्स की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम परियोजना के तहत मंगलवार को एक दिवसीय मध्यावधि प्रचार-प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। संस्था के परियोजना अधिकारी मधुसुदन शर्मा ने बताया कि परियोजना के तहत नरेगा, इंदिरा आवास तथा एसजीवाई परियोजनाओं में सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

'सूचना के अधिकार का हो रचनात्मक उपयोग'

सूचना के अधिकार पर कार्यशाला आज

कट्स प्रतिनिधियों का दौरा

सरकारी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञता भ्रष्टाचार का कारण

कटस की ओर से कार्यशाला

'जानकारी का अभाव है भ्रष्टाचार की जड़'

सूचना के अधिकार के लिए कार्यक्रम चलाएं

सूचना के अधिकार का रचनात्मक प्रयोग आवश्यक

परियोजना के तहत फाइनल डिससेमीनेशन कम एडवोकेसी पर बैठक

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)

D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Ph: 91.141.513 3259, 228 2821, Fax: 91.141.401 5395, 228 2485

Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

In Partnership With: **Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC**